18

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/14–15 जयपुर, दिनांक 11 JUN 2014

कार्यालय आदेश

राज्य स्तरीय लोकपाल चयन समिति की बैठक दिनांक 23.05.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार लोकपाल सीकर के पद पर लोकपाल पैनल में चयनित प्रथम वरियता, प्राप्त श्री सज्जन सिंह शेखावत ज़न्मतिथि 10.08.1952 को, नियुक्त किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लोकपाल हेतु जारी संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 16.01.2014 के बिन्दु संख्या 2.2.11 के अनुसार यह नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये, जो आगे एक–एक वर्ष की अवधि के लिये दोबार उनके कार्य मूल्यांकन के प्रर्दशन के आधार पर बढाई जा सकेगी अथावा 68 वर्ष की अधिआयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लोकपाल हेतु जारी दिशा–निर्देश में दिनांक 16.01.2014 के बिन्दु संख्या 2.2.14 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर, असंतोषजनक प्रर्दशन पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

लोकपाल सेवा संबंधित शर्तें ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल दिशा–निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अधीन होगी।

श्री सज्जनसिंह शेखावत को अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस को देकर अपनी कार्यग्रहण रिपोट्र इस विभाग को भिजवाएगे।

भवदीय

(डॉ समित शर्मा)
आयुक्त ईजीएस

11 JUN 2014

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज.सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त जयपुर।
7. निदेशक जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग कृषि भवन जयपुर।
8. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस सीकर।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर।
10. संबंधित लोकपाल, श्री सज्जन सिंह शेखावत पुत्र बुद्ध सिंह वार्ड नः 21 पोलो ग्राउंड सीकर
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/14–15 जयपुर, दिनांक JUN 2014

कार्यालय आदेश

राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक दिनांक 23.05.2014 के बिन्द सुख्या 3 में निर्णय लिया गया है कि राज्य में वर्तमान में कार्यरत लोकपाल को उनके नजदीकी जिलें में यदि लोकपाल का पद रिक्त है तो उसे रिक्त जिले का लोकपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है।

अत राज्य स्तरीय चयन समिति के निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य में कार्यरत लोकपाल जिन्होंने अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में लोकपाल का कार्य करने हेतु सहमति दे दी है। उन्हें निम्नानुसार अतिरिक्त जिलें के लोकपाल का कार्यभार, उस जिलें के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी मिलने तक अथवा 68 वर्ष की अधिआयु तक जो भी पहले हो के लिये, दिया जाता है। ये लोकपाल अपने नियुक्त मूल लोकपाल जिले में माह के प्रथम 15 दिवस (प्रथम पखवाड़ा) तथा अतिरिक्ति कार्यभार जिलें में माह के द्वितीय 15 दिवस (द्वितीय पखवाड़ा) में लोकपाल का कार्य करेंगे तथा जिलेवार कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवायेगे। इन अतिरिक्त कार्यभार वाले लोकपाल पर भी, लोकपाल हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश/आदेश यथावत लागू होगें।

क्र.सं.	लोकपाल का नाम व पता,	जन्म तिथि	कार्यरत जिले का नाम	अतिरिक्त जिले का कार्यभार
1.	श्री कर्नल अचलाराम पंवार, पोस्ट पदरोड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।	08.09.1953	जैसलमेर	बाड़मेर
2	श्री गजेन्द्र सिंह माझी, मांझी हाउस चान्दारूण रोड़ डेगाना जिला नागौर।	20.08.1965	नागौर	बीकानेर
3	श्री नन्दकिशोर शर्मा 101/10 सिविल लाइन्स, सावित्री कॉलेज के सामने, जिला अजमेर।	10.10.1951	अजमेर	भीलवाड़ा
4	श्री सुनिलकांत गौतम सी–2–101, कमल अपार्टमेंट बनीपार्क जयपुर।	14.01.1952	करौली	धौलपुर
5	श्री प्रहलाद कुमार मीणा, निवासी सुबोध सी.से. स्कुल के पास झालावाड रोड जिला बारां	20.06.1952	बारां	झालावाड़
6	श्री मांगीलाल शर्मा, प्रिंस स्कूल के पास कारगेटिया रोड जैतारण जिला पाली	02.01.1955	पाली	सिरोही

भवदीय

(डॉ समित शर्मा)
आयुक्त, ईजीएस

JUN 2014

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि।
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
5. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, अजमेर,भीलवाडा, करौली,धौलपुर,बारां, झालावाड़, पाली एवं सिरोही।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर,अजमेर,भीलवाडा, करौली,धौलपुर,बारां, झालावाड़, पाली एवं सिरोही।
7. संबंधित लोकपाल.................................
8. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस